आदेश	कार्यवाही विवरण
आयश्र	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार रुक-रुक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई। इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं। हजरे स्पष्ट है कि वादी को आगे वाद से कोई रुचि नहीं है अतः वाद वादी अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील जाप्ता दाखिज दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:09:33 IST
Reason: SelfAttested

(ई.डब्ल्यू.) अति. जि. न्या.
झुन्झुनूं